

03/11/2022

पत्रावली पेश हुई। (वकील) परमेश्वरानुसंगीत/

वकीलों व तहसिलदारों को बंधनानुसार संपन्न एक बार

का न्याय लागू नहीं है लेकिन कोर्ट उपस्थित

बाड़ी हुए जा. की प्रार्थना मजबूर दिने जाने पर

भी तहसिली संख्या 06 की तलवी हेतु तलवाना

बोर्डिस पेश नहीं किए गये। तथा जा. की

तहसिलदारों का अनाथ प्राप्त नहीं हुआ है

अतः वकीलों का आद अन्तर्गत चारा 188,

श.टी.एच. परमेश्वर मजबूर दिने जाने पर

भी तहसिली संख्या 06 की तलवी हेतु तलवाना


बोर्डिस पेश नहीं करने को मभाव में अन्तर्गत

0 व्.रि.05 के तहत श्वारिज किया जा रहा है

पत्रावली प्रेषित हुआ है। अन्तर्गत से काम

काम दायित्व रहता है। निर्जन शुभे न्यायानुसार

मे सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 साँभर लेक

